न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–81/2021

बूनेला यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तुलसी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 02.12.2022 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 17.02.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण की तरफ से संशोधन आवेदन आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 02.12.2022 को दाखिल किया गया था। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादपत्र के मद न0–03 की भूमि पर अपने अधिकार एवं दखल कब्जें की घोषणा करने तथा वादपत्र के मद न0–04 की वादग्रस्त भूमि जो मद न0–03 का अंश है, पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध गसबन को खाली कराने एवं अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी से यह जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण द्वारा वादभूमि बी0पी0पी0एच0टी0 के अंतर्गत बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त होने के आधार पर अपना दावा किया है तथा अंचल अमलाओं को मेल में लेकर तैयार किया गया फर्जी कागजात है। इस संबंध में वादपत्र में संशोधन करना आवश्यक है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादीगण के द्वारा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 06.01.2023 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का आवेदन खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण ने संशोधन आवेदन सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर दिया है। वादीगण को बंदोबस्ती की जानकारी पूर्व से थी। बंदोबस्ती के आधार पर जमाबंदी	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–81/2021

लगातार 17.02.2023	सं0–1123 कायम हुई। जिसकी जानकारी वादीगण को थी। अतः वादीगण का संशोधन आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी वाद धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। वादीगण के द्वारा अगर सम्यक तत्परता बरती गयी होती तो यह संभावित है कि उक्त संशोधन की आवश्यकता नही पडती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। चुँकि वादीगण द्वारा संशोधन आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त अनुतोष भी माँगा गया है। अतः इसपर सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की माँग करें। वाद दिनांक 28.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	